न्यायालय जिला कलकटर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—प्रकाश राजपुरोहित

प्रकरण संख्याः—52/2016 विविध

लीलाधर पुत्र श्री फूसाराम जाति बिश्नोई, निवासी चक 5 के.एस. पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——प्रार्थी (वादी)

बनाम

1.सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, जिला हनुमानगढ
2.सुमित्रा पत्नी रामसिंह जाति मेधवाल निवासी शेरेका, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
3.सोनू । पिसरान रामसिंह नाबालिगान जरिये कुदरती वली
4.मोनू । सुमित्रा पत्नी रामसिंह जाति मेधवाल, निवासीयान
5.सुरेश । शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितः—1.श्री रामकुमार बिश्नोई वकील प्रार्थी
2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से
3.श्री ज्ञान प्रकाश कडवासरा वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

आदेश दिनाकः—11.02.2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्डाधिकारी (राजस्व) टिब्बी के समक्ष राजस्व वाद संख्या 164/2010 शीर्षक लीलाधर बनाम रामसिंह आदि व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्डाधिकारी टिब्बी द्वारा अस्थाई निषेघाज्ञा प्रदान की हुई है जिसमें आज तक लगातार चल रही है। दौरान अस्थाई निषेघाज्ञा अप्रार्थीया ने विवादित भूमि में कच्चा कमरा व भूमि में तारबन्दी कर ली जिस पर प्रार्थी द्वारा अवमानना अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

किया जिसमें भी आज तक अप्रार्थीया के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई। अप्रार्थीया भू–माफिया गिरोह से मिली हुई एवं भू–माफिया गिरोह का काफी राजनैतिक प्रभाव है कुछ समय पूर्व प्रार्थी अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने टिब्बी गया तो अप्रार्थीया व भू–माफिया पीठासीन के चैम्बर से बाहर निकले एवं प्रार्थी को यह कहा कि उसकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है एवं वह आगामी पेशी पर प्रार्थी का अस्थाई निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करवा देगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर कोई विश्वास नही रहा है। वाद संख्या 164/2010 बअनवानी लीलाधर बनाम रामसिंह आदि व प्रकरण संख्या 48/2010 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी से किसी न्यायालय में अन्तरित करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी से टिप्पणी मंगवाई गई। अप्रार्थी को तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। दोनो पक्षो के वकीलो की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उपखण्ड न्यायालय टिब्बी के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीया संख्या 2 व भू–माफिया गिरोह के राजनैतिक दबाव में आकर निर्णय पारित करने पर उतारू है। अप्रार्थीया संख्या 2 व भू–माफिया गिरोह राजनैतिक प्रभावशाली है एवं सरेआम यह धमकिया दे रहे है कि पीठासीन अधिकारी पर दबाव डलवा दिया है निर्णय हमारे पक्ष में करवा लेगे। पीठासीन अधिकारी विधिक प्रकिया का पालन किए बिना राजनैतिक दबाव में आकर न्यायिक प्रकिया से भिन्न जाकर निर्णय पारित करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उपखण्ड न्यायालय टिब्बी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरणो को अन्यत्र न्यायालय में अन्तरित करने के आदेश फरमाये जावे।

स्टेट की ओर राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप मनगढत व आधारहीन है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरणो में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 2 औरत जात की है तथा गरीब व अनुसूचित जाति से है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप केवल काल्पनिक आधार पर लगाये गये है जो मिथ्या, झूठे व निराधार है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरणो में देरीना करने और अप्रार्थी संख्या 2 को क्षति कारित करने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्य न्यायालय को स्थानांतरण करवाने के संबंध में है। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी की टिप्पणी के अनुसार प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप गलत, मनगढ़त व सारहीन है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाये गये है उनके सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रश्नगत प्रकरणो में न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

प्रति उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनाक 11.02.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official